(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और सरकार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा अपने विभिन्न चैनलों के कार्यक्रमों की अनुसूची स्वयं तैयार की जाती है। डीडी-1 और डी-डी-2 पर राष्ट्रपति के संदेश को प्रसारित किया गया था। डीडी-3 की अनुसूची में कार्यक्रम समाचार आधारित तथा अन्य कार्यक्रम भी शामिल है जिसमें सरकारी नीतियों और कार्यक्रम कवर किए जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राजकोट स्टाक एक्सचेंज का कार्यकरण उचित न होना

1292. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने राजकोट स्टाक एक्सचेंज के प्रबंधन और कार्यकरण में कुछ कमियां पायी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेवी के अध्यक्ष ने इस एक्सचेंज के कार्यकरण और प्रशासनिक रवैये के प्रति अपनी नाराजगी जतायी है; और

(घ) इस एक्सचेंज के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबीप्रसाद पाल): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिसम्बर, 1995 में संचालित सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लि०, राजकोट की अपनी जांच की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर एक्सचेंज की कार्यप्रणाली में कुछ विसंगतियां पायी। मुख्य विसंगतियां विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)।

(ग) सेबी के अनुसार, इस संबंध में कुछ भी अभिलेखबद्ध नहीं है।

(घ) सेबी प्रतिभूति बाजार तथा स्टाक एक्सचेंजों हेतु एक संवैधानिक प्राधिकरण के तौर पर इस एक्सचेंज के कार्यकरण का अनुवीक्षण कर रहा है। सेबी एक्सचेंज की जांच पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई भी शुरू करेगा।

विवरण

(i) एक्सचेंज की एक उचित संगठनात्मक संरचना नहीं है क्योंकि प्रत्येक मुख्य कार्य हेतु अलग विभाग नहीं बनाए गए हैं।

(ii) पिछले एक वर्ष से एक्सचेंज किसी पूर्ण सक्षम कार्यपालक निदेशक तथा सचिव के बिना कार्य कर रहा है:

(iii) एक्सचेंज ने वर्ष 1995-96 के लिए अनुशासल नात्मक व्यतिक्रम तथा विवाचन समितियों का गठन अभी तक नहीं किया है;

(iv) एक्सचेंज ने बाजार की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया है।

Functioning of Peerless Investment Company

1293. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints on the functioning of Peerless Investment Company: and

(b) if so, what steps are being contemplated in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) Yes, Sir.

(b) Peerless General Finance & Investment Company Ltd. (PGFI) is a Residuary Non-Banking Company (RNBC) and its deposit acceptance activities are regulated under the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987 framed under Reserve Bank of India Act, 1934. In order to find out the position of compliance with the provisions of the RNBC Directions, a detailed inspection was carried out in 1993 when violation of some of the core provisions of the Directions were observed. The Company was asked to take remedial action and accounting aberrations were brought to the notice of the Institute of Chartered Accountants of India. As the compliance with RBI in-